न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 34 / 2020 / 136 एलआरएक्ट

1. लिछमणराम उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल जाति नाई निवासी सामी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. सांवरमल पुत्र रामलाल जाति नाई निवासी सामी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थीगण की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 13.10 .2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 / 1006 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम सामी पटवार हल्का भगतपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियों में से आवेदक 1 / 2 हक हिस्से का रिकार्डेड काबिज खातेदार व काश्तकार है। उपरोक्त भूमि में आवेदक का नाम लिछमण राम पुत्र रामलाल तथा अन्य रिकार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि में आवेदक का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल के नाम आ रहा है। जससे आवेदक के वैध हक अधिकारों पर कुठारघात हो रहा है तथा आवेदक को कृषि से सम्बन्धित किसी भी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी लाभ लेने से वंचित रहे है। जिससे आवेदकगण के वैध हक अधिकारों पर कुठारघात होकर अपूरणीय क्षति हो रही है। पटवारी हल्का से निवेदन किया की मेरा नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर दो तो माननीय न्यायालय में वाद दायर कर चाराचोही करने की हिदायत दी गयी है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1 / 1006 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम सामी पटवार हल्का भगतपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदक का नाम लिछमणराम पुत्र रामलाल के स्थान पर लिछमणराम उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल संशोधित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।
2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि आवेदक का नाम लिछमणराम

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

पुत्र रामलाल के स्थान पर लिछमणराम उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल संशोधित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम सामी की जमाबन्दी संख्या 2051 आधार वर्ष के खाता संख्या 212 में खातेदारी लिछमणराम पुत्र रामलाल जाति नाई के नाम रिकार्ड दर्ज है। जो आदिनांक है। आवेदक के मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड भामाशाह कार्ड बिजली बिल पैनकार्ड में आवेदक का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल सैन दर्ज है। लिछमणराम पुत्र रामलाल के बजाय लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलाल शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1/1006 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम सामी पटवार हल्का भगतपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदक का नाम लिछमणराम पुत्र रामलाल के स्थान पर लिछमणराम उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र रामलालदर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)